

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय/राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय,
लोक निर्माण विभाग देहरादून/नई टिहरी/पौड़ी/
अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/हल्द्वानी/देहरादून/हल्द्वानी।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं०-22, लेखाशीर्षक-3054 (राजस्व) प्रदेश के मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण मद (बन्द मार्गों को यातायात हेतु खोले जाने के कार्य में प्रयुक्त मशीनो/वाहनो का ईंधन भुगतान) में आवंटन।

संदर्भ:- शासनादेश संख्या-1503/111 (2)/18-03 (बजट)/2018 दिनांक-09.04.2018

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनु. संख्या-22, ले.शी. 3054-04-337-03-01-24 (राजस्व) प्रदेश के मार्गों/पुलियों के अनुरक्षण मद में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष मार्गों/सेतुओं के सामान्य अनुरक्षण, पैच मरम्मत तथा अनुमोदित नवीनीकरण कार्यों हेतु इस कार्यालय के विभिन्न आवंटन पत्रों द्वारा खण्डों को पूर्व में मदवार/खण्डवार कुल ₹ 92.65 करोड़ की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। योजनान्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान में उपलब्ध धनराशि तथा प्रदेश में मानसून आगमन तथा वर्षाऋतु के दृष्टिगत बन्द मार्गों को यातायात हेतु तत्काल खोले जाने के लिये प्रयुक्त मशीनो/वाहनो में ईंधन (प्रयुक्त डीजल/पेट्रोल आदि) में होने वाले व्यय हेतु खण्डों को संलग्न विवरणानुसार अब कुल ₹ 6.30 करोड़ (₹ छः करोड़ तीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नवर्णित शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की जाती है।

आवंटन की शर्त:- (1) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा संलग्न विवरणानुसार खण्डवार अब आवंटित धनराशि का उपयोग, प्रारम्भ मानसून/वर्षाऋतु में मार्गों को यातायात हेतु खोले जाने के कार्य में प्रयुक्त मशीनो/वाहनो के ईंधन आपूर्ति (डीजल एवं पेट्रोल में होने वाले व्यय) के लिये आवंटित धनराशि की सीमान्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आवंटित धनराशि का उपयोग मार्ग यातायात खोले जाने सम्बन्धी कार्यों में प्रयुक्त जे०सी०बी०, ट्रको तथा अन्य मशीनो के ईंधन आपूर्ति (डीजल एवं पेट्रोल में होने वाले व्यय) मात्र हेतु ही सुनिश्चित किया जायेगा अन्य वाहनो यथा: स्टाफ कार, जीप आदि के ईंधन में खण्डवार अब आवंटित धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।

(3) संलग्न विवरणानुसार खण्डवार अब आवंटित धनराशि अन्य प्रवृत्ति के अनुरक्षण कार्यों यथा: क्षतिग्रस्त दीवारो, स्कपरो के भुगतान, क्षतिग्रस्त नालियो की मरम्मत आदि विविध अनुरक्षण कार्यों में किसी भी दशा में व्यय नहीं की जायेगी, अन्यथा नियमविरुद्ध एवं अन्य प्रवृत्ति के अनुरक्षण कार्यों में आवंटित धनराशि व्यय किये जाने की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं को उत्तरदायी मानते हुये उनके विरुद्ध कठोरतम अनुशासनात्मक कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के स्तर से सुनिश्चित की जायेगी।

(4) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा खण्ड के अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त मोटर मार्गों को यातायात के लिये निरन्तर सुलभ रखे जाने का कार्य उच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा तथा भारी वर्षा एवं भूस्खलन से बन्द मार्गों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर खोलते हुये यातायात हेतु सुलभ रखा जायेगा।

(5) अनुरक्षण कार्यों में गुणवत्ता का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ-साथ वित्तीय मितव्ययता सम्बन्धी प्रचलित नियमों का समुचित अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) आवंटित धनराशि का व्यय, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट 2017 के द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं/व्यवस्थाओं, बजट मैनुवल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, टेण्डर विषयक नियमों तथा अन्य सुसंगत स्थाई आदेशों का अनुपालन करते हुये नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 में निहित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं० 22, लेखाशीर्षक 3054 सड़क तथा सेतु-04 जिला तथा अन्य सड़कें-राजस्व-337 सड़क निर्माण कार्य-03 अनुरक्षण एवं मरम्मत 01 प्रदेश के मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण कार्य-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्न:- खण्डवार आवंटन सूची (2 पृष्ठ)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपि: निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो०ओ०-सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
- (2) अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- (3) वित्त नियंत्रक, कार्या० प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो०नि०वि० देहरादून। आवश्यक साख-सीमा निर्गत करने हेतु।
- (4) अधीक्षण अभियन्ता,वृत्त लोक निर्माण विभाग
- (5) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई/रा०मा० खण्ड लोक निर्माण विभाग
- (6) आई०टी० सेल कार्या. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. देहरादून को सूचनार्थ एवं विभागीय ऑनलाईन बेबसाईट में अपलोड कराये जाने हेतु।

संलग्न:- खण्डवार आवंटन सूची (2 पृष्ठ)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

L.T
upload on
02.07.18
(देवेन्द्र शास्त्री)
अधिशासी अभियन्ता

वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश के मार्गो/पुलियों के अनुरक्षण मद में आवंटन।

अनुदान संख्या-22, ले0शी0-305404337030124 (राजस्व)

(धनराशि लाख ₹ में)

क सं.	खण्ड का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन							
		पूर्व आवंटन						अब आवंटन (बन्द मार्गों को यातायात हेतु खोले जाने के लिये प्रयुक्त मशीनों/वाहनों के ईंधन हेतु)	कुल आवंटन, (का0 8+9)
		मार्गों का सामान्य अनुरक्षण एवं रख-रखाव	पैच मरम्मत	सेतुओं का रख-रखाव एवं सुरक्षात्मक कार्य	योग, मार्ग/सेतु सामान्य अनुरक्षण (का. 3+4+5)	नवीनीकरण कार्यों में आवंटन	पूर्व आवंटन का योग, (का. 6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रा0ख0 देहरादून	35.00	40.00	15.00	90.00	140.00	230.00	10.00	240.00
2	नि0ख0 देहरादून	35.00	50.00	10.00	95.00	200.00	295.00	10.00	305.00
3	अ0ख0 ऋषिकेश	40.00	50.00	10.00	100.00	195.00	295.00	10.00	305.00
4	अ0ख0 सहिया	25.00	35.00	5.00	65.00	92.25	157.25	10.00	167.25
5	अ0ख0 चकराता	20.00	35.00	5.00	60.00	39.75	99.75	10.00	109.75
	योग: देहरादून	155.00	210.00	45.00	410.00	667.00	1077.00	50.00	1127.00
6	प्रा0ख0 हरिद्वार	30.00	30.00	10.00	70.00	100.00	170.00	10.00	180.00
7	नि0ख0 रुडकी	30.00	40.00	10.00	80.00	140.00	220.00	10.00	230.00
8	नि0ख0 लक्सर	65.00	30.00	5.00	100.00	100.00	200.00	10.00	210.00
	योग: हरिद्वार	125.00	100.00	25.00	250.00	340.00	590.00	30.00	620.00
	योग, क्षेत्रका0 देहरादून	280.00	310.00	70.00	660.00	1007.00	1667.00	80.00	1747.00
9	प्रा0ख0 उत्तरकाशी	30.00	30.00	5.00	65.00	15.00	80.00	10.00	90.00
10	प्रा0ख0 भटवाड़ी	15.00	20.00	5.00	40.00	30.00	70.00	10.00	80.00
11	नि0ख0 चिन्यालीसौड़	25.00	30.00	5.00	60.00	15.00	75.00	10.00	85.00
12	नि0ख0 पुरोला	20.00	30.00	10.00	60.00	25.00	85.00	10.00	95.00
13	नि0ख0 बडकोट	25.00	40.00	10.00	75.00	45.00	120.00	10.00	130.00
	योग: उत्तरकाशी	115.00	150.00	35.00	300.00	130.00	430.00	50.00	480.00
14	प्रा0ख0 टिहरी	40.00	40.00	35.00	115.00	70.00	185.00	10.00	195.00
15	नि0ख0 चम्बा	25.00	30.00	10.00	65.00	70.00	135.00	10.00	145.00
16	नि0ख0 नरेन्द्रनगर	35.00	40.00	15.00	90.00	170.00	260.00	10.00	270.00
17	अ0ख0 घनसाली	25.00	25.00	10.00	60.00	50.00	110.00	10.00	120.00
18	अ0ख0 श्रीनगर	30.00	40.00	10.00	80.00	50.00	130.00	10.00	140.00
19	अ0ख0 थत्यूड़	20.00	25.00	5.00	50.00	50.00	100.00	10.00	110.00
	योग: टिहरी	175.00	200.00	85.00	460.00	460.00	920.00	60.00	980.00
	योग, क्षेत्रका0 नई टिहरी	290.00	350.00	120.00	760.00	590.00	1350.00	110.00	1460.00
20	प्रा0ख0 गोपेश्वर	25.00	40.00	15.00	80.00	18.00	98.00	10.00	108.00
21	प्रा0ख0 कर्णप्रयाग	15.00	20.00	5.00	40.00	25.00	65.00	10.00	75.00
22	नि0ख0 गौरसैण	15.00	25.00	5.00	45.00	25.00	70.00	10.00	80.00
23	अ0ख0 गौचर	15.00	25.00	5.00	45.00	80.00	125.00	10.00	135.00
24	अ0ख0 थराली	10.00	30.00	10.00	50.00	20.00	70.00	10.00	80.00
25	नि0ख0 पोखरी	10.00	20.00	5.00	35.00	25.00	60.00	10.00	70.00
	योग: चमोली	90.00	160.00	45.00	295.00	193.00	488.00	60.00	548.00
26	प्रा0ख0 रुद्रप्रयाग	30.00	30.00	10.00	70.00	40.00	110.00	10.00	120.00
27	नि0ख0 रुखीमठ	20.00	30.00	5.00	55.00	10.00	65.00	10.00	75.00
	योग: रुद्रप्रयाग	50.00	60.00	15.00	125.00	50.00	175.00	20.00	195.00
28	प्रा0ख0 पौड़ी	185.00	65.00	5.00	255.00	100.00	355.00	10.00	365.00
29	नि0ख0 पौड़ी	15.00	30.00	5.00	50.00	90.00	140.00	10.00	150.00
30	नि0ख0 पाबौ	30.00	30.00	5.00	65.00	90.00	155.00	10.00	165.00
31	नि0ख0 श्रीनगर	20.00	30.00	5.00	55.00	60.00	115.00	10.00	125.00
32	प्रा0ख0 लैन्सडौन	35.00	30.00	5.00	70.00	110.00	180.00	10.00	190.00
33	नि0ख0 दुगड्डा	105.00	40.00	15.00	160.00	120.00	280.00	10.00	290.00
34	नि0ख0 बैजरौ	35.00	40.00	10.00	85.00	50.00	135.00	10.00	145.00
	योग: पौड़ी	425.00	265.00	50.00	740.00	620.00	1360.00	70.00	1430.00
	योग: क्षेत्रका0 पौड़ी	505.00	355.00	75.00	1160.00	863.00	2023.00	150.00	2173.00

2.7.2018

